No. SRM-DEV-(NGT ORDER APP. NO. 193/2024-
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT SIRMAUR AT NAHAN (HP)

Dated, Nahan, the 07 / 10 / 2024

To,

Consultant, Judicial
NGT (Principal Bench), New Delhi.

Subject: **Reg. Reply/Response of respondent No. 03 in OA No. 193/2024 Titled as Chandan Singh V/s State of HP & Ors.**

Sir,

In compliance of order dated 10-09-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench in Original Application No.193 /2024 in case Chandan Singh V/s Union of India, the detailed reply/response on behalf of respondent no 03 i.e (Deputy Commissioner, District Sirmaur at Nahan is being enclosed herewith for your ready reference please.

Encls. As above.

Yours faithfully,

7/10/24

District Magistrate
District Sirmaur at Nahan.

BEFORE THE HON'BLE PRINCIPAL BENCH NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI.

Original Application No. 193 of 2024

IN THE MATTER OF :

Chandan Singh and others

..........Applicant.

Versus

State of Himachal Pradesh.

.... Respondents

INDEX

Sr.No.	Pariculars	P.No
1	Reply/Response of the Respondent No.3 (Deputy Commissioner, Sirmaur, H.P. in terms of Order dated 10.09.2024	1 to 3
2	Annexure-R-I Complaint and Letter of directions issued to the Concerned authorities	4 to 6
3	Annexure-R-2 Copy of report/agreement.	7 to 9

Respondent No.3

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA. No.193 OF 2024

Chandan Singh and others.

……Applicant.

Versus

State of Himachal Pradesh.

………Respondents

REPLY/RESPONSE OF THE RESPONDENT NO. 03 (DEPUTY COMMISSIONER, SRIMAUR, HP, IN TERMS OF ORDER DATED 10-09-2024

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the applicants Chandan Singh and others filed the petition before the Hon'ble Tribunal, which has been registered as O.A No. 193/2024, in view of the averments made in the petition, Hon'ble NGT constituted a joint committee comprising representative of Himachal Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate to verify the factual position and appropriate action. That the representative of District Magistrate has visited the mining site in village Chowki, Mirgwal, Tehsil Kamrau, District Sirmaur on dated 11-06-2024 and verified the factual position and took appropriate action and filed a detailed joint inspection report before the Hon'ble NGT on dated 04-07-2024.

District Magistrate
District Sirmaur at Nahan

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 09-07-2024 was pleased to implead District Magistrate, Sirmaur, HP as one of the respondent (R-03) in the above captioned matter and directed to filling their responses within one month and also directed the members of joint committee to file an additional report in the light of observation made by the committee in their joint inspection report submitted on dated

04-07-2024 to the Hon'ble NGT. In compliance of the said order, the joint committee filed an additional report on dated 13-08-2024 and prayed for additional three-month time to file their factual report due to incessant rains road leading to the mining site is not motor able. Thereafter the Hon'ble Tribunal vide order dated 10.09.2024 constituted a high powered committee comprising a senior officer of CPCB, not below the rank of Director, Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Shimla, Member Secretary, HP PCB. The Hon'ble Tribunal also appointed an Amicus Curiae to assist the Tribunal. Further the Hon'ble Tribunal also directed the respondents No. 1 to 3 to file their reply/response.

3. That it is pertinent to mention here that the applicants have concealed the true and material facts from the knowledge of the Hon'ble Tribunal. It is submitted that in the instant matter a complaint against the M/s Giri Lime and Chemical Pvt. Ltd, Village Chowki Mirgwal, PO Kanti Mashwa, Tehsil Kamrau, District Sirmaur was earlier submitted by the applicants Sh. Chandan Singh and other residents of village Kuner in the Office of District Magistrate, on dated 31-07-2023. The complaint was enquired by this office and directions had been issued vide this office letter No. Peshi-II-24(3)/2018-182566 dated 05-08-2023 to the Superintendent of Police, Sub Divisional Officer, (C), Kaffota and Mining Officer, District Sirmaur for further necessary action. **(Annexure-R1)**

District Magistrate
District Sirmaur at Nahan

4. That as per the report received from the Sub-Divisional Officer (C), Kaffota, vide letter No. SDO(C)-Kaffota/SDK/2024-106 dated 18-01-2024, an agreement had been executed between the resident of village Kuner and representative of M/s Giri Lime and Chemical Pvt. Ltd, in the presence of Sub Divisional Officer (C), Kaffota, District Sirmaur on dated 08-01-2024 and both parties was agreed with the terms and conditions of agreement. **(Annexure-R2)**

5. That the Report/Response on behalf of the Respondent No. 03 (Deputy Commissioner, District Sirmaur) is submitted before Hon'ble NGT with the request that the report may kindly be taken on record for consideration please.

District Magistrate,
District Sirmaur at Nahan.

(Annexure-R1)

क्रमांक: पेशी -11-24(3)/2018- 182566
कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर हि० प्र०।
दिनांक: नाहन 5 ~~जुलाई~~ अगस्त -2023

1 पुलिस अधीक्षक,
जिला सिरमौर स्थित नाहन।
2 उपमण्डलाधिकारी (ना0)
कफोटा, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
3 खनन अधिकारी
जिला सिरमौर स्थित नाहन।

विषय- दरखास्त बराये करवाए जाने उचित कानूनी कार्यवाही बरखिलाफ मैसर्ज गिरिलाइमस एण्ड केमिकल्स ओखलटी तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हि0 प्र0 तथा लिए जाने मुआवजा भारी नुकसान बारे।

उपरोक्त विषय पर समस्त ग्रामवासी कुनेर, डाकघर कांटी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से सुचित किया गया है कि उनके गाव मे मैसर्ज गिरिलाइमस एण्ड केमिकल्स के नाम से माईन कई सालो से चल रही है जिसके कारण माईन से आए मलबे से उन्हे भारी नुकसान का सामना करना पड रहा है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त वर्णित माईन को को बंद करवाया जाए तथा उन्हे नुकसान का मुआवजा भी दिलवाया जाऐं।

अतः ऊपर वर्णित पत्र की प्रति आपको इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि आप मामले में नियमानुसार कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाऐं।

भवदीय,

अतिरिक्त उपायुक्त
जिला सिरमौर, हि0प्र0।
दिनांक 5/8/23

पृ० सं0- यथोपरि 182566

प्रतिलिपि प्रधान ग्राम पंचायत कुनेर, डाकघर कांटी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, जिला सिरमौर को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,

अतिरिक्त उपायुक्त
जिला सिरमौर,हि0प्र0।

-5-

सेवा में ,

श्री मान जिलाधीश महोदय

जिला सिरमौर नहान हि प्र.

विषय :- दरखास्त बराये करवाए जाने उचित कानूनी कारवाही बरखिलाफ मेसेज गिरिलाइमस एंड केमिकेल्स ओखलटी तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हि प्र. तथा लिए जाने मुवाबजा भारी नुक्सान का /

श्री मान जी ,

सायला निम्न्लिखित पार्थना करते है :-

1. यह कि सायलान ग्राम कुनेर पो. ओ. कॉटी मशवा तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हि प्र के स्थाई निवासी हे तथा बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते हे / हम सब हरिजन बस्ती के लोग हे जिस कारण हमारी सुनवाई करने वाला कोई नही होता हे /
2. यह कि राजनितिक मिली भगत के हमारे गाव के उपर मेसेज गिरिलाइमस एंड केमिकेल्स के नाम से एक माईन कई सालो से चली हुई हे तथा उपरोक्त माईन से कई बार हमारे गाव को भारी नुक्सान पहले भी कई बार हो चूका हे जिस बारे हम कई दरखास्ते हे चुके हे मगर गरीब हम गरीबो की कोई सुनवाई आज तक नही हुई जबकि हमारे पीने के पानी के सोर्स भी इस माईन से दब चुके हे /
3. यह कि मिति 09/07/2023 को उपरोक्त माईन से आये मलबे से हमारी बस्ती में बने मन्दिर टूट गये , पिने के पानी के चशमे, पाइप, लाइन, व रास्ते दब गये तथा (छोटे बड़े पेड़ व घासनी दब गये) हमारी खेती योग्य भूमि को भारी नुक्सान हो गया / हमने इस बारे पटवारी पटवार हल्का बडवास से इस भारी नुक्सान बारे शिकायत की थी वो मोका पर आये मगर हमे आज तक कोई मुवाबजा नही दिया गया तथा उपरोक्त माईन के मालिक व कर्मचारियों ने भी सुचना के बाबजूद भी हमारी कोई सुध न ली /
4. यह कि अगर यह माईन चलती रही तो एक दिन हमारा पूरा गाव मलबे में दब जायगा तथा पूरे गाव के गरीब लोग भी उसी में समां जायगे / हम उपरोक्त माईन मालिक से नुक्सान का मुबाबजा लेकर उपरोक्त माईन को हमेशा के लिए बंद करवाना चाहते हे ताकि हमारे गाव का अस्तित्व मिटने से बच सके / उपरोक्त माईन में अबेज्ञानिक रूप से खनन कार्य होता हे किस कारण हमारे गाव को हमेशा खतरा बना हुवा हे /

पेज ....

अतः जनाब से प्रथना हे कि उपरोक्त माईन मालिक के खिलाफ उचित क़ानूनी क रवाही अम्ल में लाइ जाकर हमे हमारे नुक्सान का मुवाबजा दिलाया जावे तथा इस माईन को हमेशा के लिए बंद करवाया जावे / जनाब की महान कृपा होगी /

सायल

दिनाक 31/07/2023

समस्त ग्रामवासी ग्राम कुनेर पी. ओ. काँटी

मशवा तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हि प्र

प्रतिलिपि :- इन्चार्ज नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल हे०क्वा शिमला

चान्दसिंह

मस्तसिंह

सुरेश

सुरतसिंह

रमेश

सुन्दरसिंह

सालगराम

कल्याणसिंह

रविन्दरसिंह

S.P

MO/SDM concerned / S.P for n/a immediately.

31/07/23

(ANNEXURE-R2)

क्रमांक-उ0म0अ0(ना0) कफोटा/एस0डी0एम0/2024- 106
कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0) कफोटा, जिला सिरमौर, हि0प्र0
दिनांक कफोटा 18 जनवरी, 2024,

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

विषयः- दरखास्त बराए जाने उचित कानूनी कार्यवाही बरखिलाफ मेसेस गिरलाइमस एण्ड केमिकल ओखिलटी, तहसील कमरऊ जिला सिरमौर हि0 प्र0 तथा लिएं जानें मुआवजा भारी नुकसान बारें ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के पत्र कमांकः पेशी-11-24(3)/2018-182566 दिनांक 05-08-2023 की अनुपालना में आज दिनांक 08-01-2024 को अधोहस्ताक्षरी जिला खनन अधिकारी अधिकारी श्री कुल भूषण शर्मा को साथ लेकर ग्राम कुनैर गए तथा मौका निरीक्षण किया । ग्राम कुनैर के लोगों को मेसज गिरी लाईनस एण्ड केमिकल्स, ओखलाटी दवारा पहुचा जा रहे नुकसान एवं उसके समाधान बारे दोनों पक्षों के साथ चर्चा की गई । प्रथम पक्ष दवारा रखी गई शर्तों को दवितीय पक्ष मानने के लिए तैयार हो गये तथा मौका पर ही समझोतानामा तैयार करवाया गया जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है समझोतानामा की प्रति भी संलग्न है ।

इसके अतिरिक्त पट्टा धारक को अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि गांव के साथ लगते नाले में चैक डेम लगाए ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके ।

अतः विस्तृत रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु आप की सेवा में प्रेषित है ।

भवदीय

उप मण्डलाधिकारी (ना0)
जिला सिरमौर, हि0प्र0

आज दिनांक 8/01/2024 को गिरी लाईम कैमिकल माईन मे उपस्थित प्रथम पक्ष कुनैर ग्रामवासी सर्व श्री चन्दनसिंह पुत्र रामनाथ पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बड़वास, मदनसिंह पुत्र जीतसिंह, रघुवीरसिंह पुत्र चन्दनसिंह, सन्दीप पुत्र कल्याणसिंह, व द्वितीय पक्ष गिरी लाईम एंड कैमिकल माईन की ओर से माइनिंग एजेन्ट श्री जगदीप सिंह तोमर व माइनिंग मेट श्री रमेशचन्द पुत्र भीमसिंह के मध्य निम्नलिखित बिंदुओ पर चर्चा उपरान्त सहमति हुई है।

(1) ग्रामवासियो ने निरीक्षण के दौरान यह बताया कि उनके गाव का रास्ता मलवा आने की वजह से बन्द हो गया है जिससे ग्रामवासी कुनैर अपने आप ही सुधारना चाहते है इसमे जो खर्चा आएगा उसको वहन खनन पट्टाधारक करेगा जिसके लिए उपरोक्त पक्षो ने सहमति दर्ज की है।

(2) पानी के प्राकृतिक स्त्रोत बारे ग्रामवासियो ने बताया कि 2015 से इनके गाव के कुछ प्राकृतिक स्त्रोत मलवे मे दब गये है जिसमे सुधार की आवश्यकता है इसके लिए ग्रामवासियो से यह अनुरोध किया गया कि उक्त प्राकृतिक जल स्त्रोतो के लिए ऐस्टीमेट तैयार करके पंचायत के माध्यम से खनन कार्यालय नाहन को प्रेषित करे ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सके।

(3) ग्रामवासियो ने बताया कि बरसात मे मलवा आने से मन्दिर के आसपास का क्षेत्र बड़ी-बड़ी चट्टानो के आने से भर गया है जिसके लिए खनन पट्टा धारक को निर्देश दिये गये कि मन्दिर स्थल के आस पास जो भी चट्टाने है उनको हटाया जाए और मन्दिर मे भी कुछ मुरम्मत की जरूरत है उसमे भी योगदान करे।

इसके अतिरिक्त पट्टा धारक को यह भी निर्देश दिये गये कि गांव के साथ लगते नाले मे चकडैम लगाये ताकि भविष्य मे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

अंत: उपरोक्त बिन्दुओ पर दोनो पक्षो में सहमति हुई तथा इन पर

PTO

त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
चन्दनसिंह	
(1) चन्दनसिंह पुत्र [illegible] R/o कुँवार	(1) [illegible] (Pradeep Singh Tomar) मार्केटिंग डेवलेप
(2) मदनसिंह मदनसिंह S/o [illegible]सिंह R/o कुनैर	(2) [illegible] [illegible] पुत्र [illegible]सिंह मार्केटिंग मैन
(3) [illegible] रघुवीरसिंह पुत्र चन्दनसिंह R/o कुँवर	
(4) सन्दीप सन्दीप पुत्र कल्याण सिंह R/o कुँवर	

Attested
[illegible]
SDM [illegible]